

कॉलेजियम द्वारा उच्च न्यायालय के उम्मीदवारों का मूल्यांकन

स्रोत: हट्टिसतान टाइम्स

हाल ही में, **सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम** ने **उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद** हेतु वचिारार्थ उम्मीदवारों के साथ वार्ता की, सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम का यह कदम मानक स्क्रिनिंग प्रक्रिया से पृथक् था।

- मानक स्क्रिनिंग प्रक्रिया में न्यायिक कार्यों का मूल्यांकन, खुफिया वभाग (IB) से प्राप्त जानकारी, **राज्यपाल** के माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा व्यक्त वचिार और न्याय वभाग की टपिपणियाँ शामिल होती हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने यह कदम **इलाहाबाद उच्च न्यायालय** के एक न्यायाधीश द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान धर्म पर वविदास्पद टपिपणी के बाद उठाया, जिसकी व्यापक आलोचना की गई थी।
 - यह आरोप लगाया गया कि उनकी टपिपणियाँ ने वर्ष 1997 में **सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए न्यायिक जीवन के मूल्यों के पुनर्रस्थापन (Restatement of Values of Judicial Life)** का उल्लंघन किया है।
 - यह **न्यायिक आचार संहिता** है जो स्वतंत्र एवं नषिपक्ष न्यायपालिका तथा नषिपक्ष न्याय प्रशासन के लिये मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है।
 - इस कृत्य ने **बंगलूर प्रसिपिल ऑफ ज्यूडीशियल कंडकट, 2002** का भी उल्लंघन किया, जो न्यायाधीशों हेतु नैतिक मानदंड नरिधारति करता है तथा उनके न्यायिक व्यवहार को नरिंतरति करता है।
 - यह **छह प्रमुख मूल्यों** अर्थात् स्वतंत्रता (Independence), नषिपक्षता (Impartiality), सत्तयनषिठ (Integrity), औचित्य (Propriety), समानता (Equality) तथा अभक्षिषमता और करमठता (Competence and Diligence) को मान्यता देता है।
 - संवधान के **अनुच्छेद 217** में कहा गया है कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नयुक्ति **राषट्रपति** द्वारा **भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)** और राज्य के **राज्यपाल** के परामर्श से की जाएगी।

कॉलेजियम सिस्टम

- ◊ न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली
- ◊ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ, न कि संसद के एक अधिनियम द्वारा

न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी संवैधानिक प्रावधान

- ◊ अनुच्छेद 124 (2) और 217- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति
 - ◊ राष्ट्रपति "सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों" से परामर्श करने के बाद नियुक्तियाँ करता है, जैसा कि वह आवश्यक समझे।
- ◊ लेकिन संविधान इन नियुक्तियों को करने के लिये कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है।

कॉलेजियम प्रणाली का विकास

- ◊ **प्रथम न्यायाधीश मामला (1981):**
 - ◊ इसने यह निर्धारित किया कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर **भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)** के सुझाव की "प्रधानता" को "ठोस कारणों" के चलते अस्वीकार किया जा सकता है।
 - ◊ इस निर्णय ने अगले 12 वर्षों के लिये न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी है।
- ◊ **दूसरा न्यायाधीश मामला (1993):**
 - ◊ सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की कि "परामर्श" का अर्थ वास्तव में "सहमति" है।
 - ◊ इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह CJI की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी।
- ◊ **तीसरा न्यायाधीश मामला (1998):**
 - ◊ राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रेजिडेंशियल रेफरेंस (Presidential Reference) (अनुच्छेद 143) के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पाँच सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया, जिसमें CJI और उनके चार वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होंगे।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)

- ◊ यह कॉलेजियम प्रणाली को बदलने का एक प्रयास था। इसने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की
- ◊ NJAC की स्थापना 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 द्वारा की गई थी
- ◊ लेकिन NJAC अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने का हवाला देते हुए इसे रद्द कर दिया गया

आलोचना

- ◊ अपारदर्शिता
- ◊ भाई-भतीजावाद की गुंजाइश
- ◊ कार्यपालिका का बहिष्करण
- ◊ नियुक्ति की कोई पूर्व निर्धारित प्रक्रिया नहीं



और पढ़ें: [न्यायकि जीवन के मूल्यों का पुनरस्थापन](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/collegium-assesses-high-court-candidates>

